6.11.18 पत्रावली पेश। अभिभावक प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उप०। बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई।
अभिभावक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे सिद्ध होता हो कि विष्णुप्रसाद व यशवंत सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः–	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–	54/25
दायर दिनॉंक :–	17.06.2025
निर्णय दिनॉंकः–	06.11.2025
उनवान :–	विष्णु प्रसाद

बनाम

राजस्थान सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी विष्णु प्रसाद पिता बीरमचंद जाति राव निवासी बनेट तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनेट तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 289 (पुराना 255) की कुल किता 02 की 0.0648 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम खजुरी तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 288 (पुराना 268) की कुल किता 01 की 1.8211 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम "यशवंत सिंह पिता बीरमा" दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम "विष्णु प्रसाद पिता बीरम" है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं अंक तालिका आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 54 / 25
उनवान :— विष्णु प्रसाद बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—06.11.2025

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रार्थना—पत्र में वर्णित उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम ''यशवंत सिंह पिता बीरमा '' के स्थान पर ''विष्णु प्रसाद पिता बीरमचंद'' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

हमने प्रार्थना—पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि विष्णु प्रसाद पिता बीरमचंद ही यशवंत सिंह पिता बीरमा है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा विष्णु प्रसाद पिता बीरमचंद को गलत तरीके से जमाबंदी में यशवंत सिंह पिता बीरमा दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होक़र बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)